

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/987

दिनांक 24.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक- शिष्टाचार एवं सुविधाओं के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें तथा सुचारु, कुशल और प्रभावी तरीके से चुनावों के संचालन का प्रबंधन हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में राज्य निर्वाचन आयोग की सहायतार्थ पर्यवेक्षकों को लगाया और नियुक्त किया जाता है। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग की आंख और कान हैं। वे विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत के रूप में फील्ड की सूचनाओं से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हैं और उनकी वरिष्ठता एवं लम्बे प्रशासनिक अनुभव का उपयोग स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकारियों के कार्य का उचित पर्यवेक्षण में किया जाता है।

इसलिए, जिला प्रशासन और चुनावी गतिविधियों से संबंधित सभी कार्मिकों को उनसे आदरपूर्ण व्यवहार एवं शिष्टाचार से पेश आने हेतु निर्देशित किया जाता है।

पर्यवेक्षकों के लिए निम्नानुसार सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध करावें :-

1. उनके कार्यक्रम के अनुसार उनकी अगवानी और प्रस्थान व्यवस्था का ध्यान रखें।
2. जैसा कि सभी पर्यवेक्षक राज्य कैडर (IAS एवं RAS) से होंगे, इसलिए वे अपने राजकीय वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। फिर भी आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक को विश्वसनीय और भरोसेमन्द परिवहन दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें नगरपालिका/पंचायतीराज संस्थाओं में जहाँ भी आवश्यक हो, पहुंचने में सुविधा रहे।
3. पर्यवेक्षक के सर्किट हाऊस में ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन व्यवस्थाओं में पीएसओ, वाहन चालक, सचिवीय सहायता, संपर्क अधिकारी (liaison officer) आदि शामिल होंगे। बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा अपने दैनिक भत्ते से वहन किया जाएगा। टीए/डीए का भुगतान पर्यवेक्षक द्वारा उनके विभाग/कार्यालय से लिया जाएगा।
4. पर्यवेक्षक के आगमन से लेकर उनके मूल स्थान तक लौटने, विशेषकर उन्हें आवंटित स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं में उनके ठहरने और भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाये।
5. सूचना की उपलब्धता- जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक फोल्डर में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करायेंगे-
 - (i) नगरपालिका/पंचायत समिति का नक्शा।
 - (ii) क्रिटिकल मतदान केन्द्र एवं वलनरेबल (vulnerable) क्षेत्र के साथ-साथ मतदान केन्द्रों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।
 - (iii) प्रत्येक नगरपालिका/पंचायती राज वार्डवार संस्थाओं के मतदाताओं की संख्या।
 - (iv) मतदान केन्द्रों, पुलिस स्टेशनों, सिविल और पुलिस अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारियों की सूची मय टेलीफोन व

मोबाईल नं.।

- (v) जिले की चुनाव योजना से संबंधित एक बुकलेट एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जो आवश्यक हो।
(vi) मतगणना केन्द्र एवं मतगणना से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ।

6. पर्यवेक्षकों को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों को सर्किट हाऊस या इनके ठहरने के किसी अन्य स्थान पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक पर्यवेक्षक ठहरे हुए हों वहाँ केवल एक फैक्स मशीन व एसटीडी सुविधा वाली टेलीफोन लाईन पर्याप्त होगी।
8. मतगणना केन्द्रों में पर्यवेक्षकों को एक एसटीडी टेलीफोन व फैक्स की सुविधा के साथ एक अलग टेबल उपलब्ध करायी जायेगी। एसटीडी टेलीफोन व फैक्स का उपयोग पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
9. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के ठहरने के स्थान और टेलीफोन नंबर एवं उनकी यात्रा की तारीख का विधिवत प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवार आदि उनसे चुनाव संबंधी शिकायतों या सूचनाओं के साथ मिल सकें।
10. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

24/11/26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 24.01.2026

क्रमांक:- प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14-15/988-995

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

24.01.2026
(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव